भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2722

22 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी सोसाइटी अधिनियम का संशोधन

2722. श्री टी.जी. वेंकटेश:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है और क्या इस संबंध में राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है/लागू की गई है और इस तरह के संशोधनों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए कानून को बदलती आर्थिक नीतियों के अनुरूप रखने, प्रबंधन को सदस्यों के प्रति जवाबदेह बनाने और समितियों के जमाकर्ताओं एवं शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना के लिए प्रभावी नियामक तंत्र हो।

*****